N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0291 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 13/11/2025 14:53 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	238
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** रविवार **Date From (दिनांक से):** 09/11/2025 **Date To (दिनांक तक):** 09/11/2025

Time Period (समय अवधि): पहर 4 **Time From (समय से):** 10:09 बजे **Time To (समय तक):** 10:50 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/11/2025 **Time (समय):** 10:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 13/11/2025 14:53:05 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 110 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABL

(b)**Address(पता):** KARAYALAYA ADHIKSHK KENDRIYA NARKOTIKS BEAURO, BHAWANIMANDI JILA JHALAWAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): MOHANLAL TELI

(b) Father's Name (पिता का नाम): BHANWAR LAL TELI

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1995 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GAOU MEJA, MANDAL, MANDAL, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GAOU MEJA, MANDAL, MANDAL, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	HITESH KUMAR		पिता:RAM CHANDRA	1. BHOJAWAS KENAN,महेन्दरगढ़, महेंद्रगढ़,हरियाणा,INDIA
2	AKRAM HUSAIN AND OTHERS		पिता:MOHAMMAD HAKEEM	1. WARD 08 IMAMCHOK KE PASS,KAITHOON,KOTA RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		30,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 30,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,हालात इस प्रकार है कि दिनांक 09.11.2025 समय 10.09 एएम पर मोबाईल नम्बर [redacted] से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल आया व बताया कि मदनलाल तेली पुत्र श्री भंवरलाल तेली निवासी ग्राम मेजा, तहसील व पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाडा का निवासी हूं। दिनांक 07.11.2025 को शाम के 07 बजे करीब नारकोटिक्स विभाग, भवानीमण्डी के श्री हितेश कुमार जी इंस्पेक्टर एवं उनके साथ आए दिनेश कुमार व अन्य जाप्ता गाडी नंबर एमपी14-2डी-7247 से हमारे घर आए व मेरे पिता श्री भंवरलाल को यह कहकर ले गए थे कि इनके खिलाफ सैफ अली नामक व्यक्ति ने बयान दिए थे, इसलिए यह हमारा मुल्जिम है तथा जाते वक्त उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम दिनेश कुमार है,मेरे मोबाइल नंबर [redacted] हैं इनपर वाट्सअप कॉल कर लेना।उनके जाने के थोडी देर बाद मेरे भाई मोहनलाल ने उक्त मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो उन्होंने 1-2 किलोमीटर माण्डल की तरफ आने के लिए कहा जो उनसे मिलकर वापस आया व मुझे बताया कि नारकोटिक्स वाले पिताजी को छोडने की एवज में 4 लाख रूपये रिश्वत मांग रहे थे। मैंने उनसे रिश्वत देने के लिए मना किया तो वह लोग पिताजी को भवानीमण्डी ले गए हैं व कहकर गए हैं कि 04 लाख रूपये की व्यवस्था हो जाए तो बात कर लेना फिर मेरे पापा के मोबाइल नंबर [redacted] से मेरे भाई के मोबाइल पर 08.11.2025 को सुबह के समय फोन आयातो मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे एनडीपीएस के बडे केस में फंसाने की कहकर घरवालों से मंगवाने की कह रहे हैं तथा मुझे दिए गए मोबाइल नंबर पर मेरे भाई ने कई बार वार्ता की तो हितेश जी व दिनेश कुमार बार-बार 04 लाख रूपये लेकर हमें आज ही भवानीमण्डी बुला रहे हैं। मेरे पिताजी अभी भी नारकोटिक्स ऑफिस भवानमण्डी में ही उक्त लोगों के पास हैं। मैं व मेरा भाई उन लोगों को रिश्वत लेते पकड़वाना चाहते हैं। आप हमें कोटा बाईपास हैगिंग ब्रिज पर मिल जाओ। सारी बात आपको रूबरू बता देगें। मोबाइल वार्ता से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने एवं आज ही परिवादी को रिश्वत लेकर बुलाने के तथ्य स्पष्ट हुए हैं। अतः आगामी कार्यवाही शुरू की गई। परिवादी के आने पर प्रार्थना पत्र लिया जावेगा। श्री राजेन्द्र कुमार कानि0 279 कोपत्र क्रमांक 656 दिनांक 09.11.2025 अधीक्षक एमबीएस कोटा को सम्बोधित दिया जाकर स्वतंत्र गवाह लेने हेतु एमबीएस हास्पीटल कोटा रवाना किया जो स्वतंत्र गवाह श्री सचिन मेहता मोबाइल नम्बर [redacted] व तरूण जैन मोबाइल नम्बर [redacted] के उपस्थित कार्यालय आया। आमदा दोनों गवाह को मोबाइल पर प्राप्त हुई सूचना पढकर सुनाई एवं होने वाली संभावित ट्रेप कार्यवाही में गवाह बनने की सहमति चाही गई तो दोनों गवाहान ने होने वाली संभावित ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति दी। समय 12.19 पीएम पर सहपरिवादी द्वारा अपने पिता का भवानीमण्डी नारकोटिक्स कार्यालय में होना मोबाइल वार्ता पर बताने के फलस्वरूप सहपरिवादी के पिता श्री भंवरलाल तेली के मोबाइल नंबर [redacted] की मोबाइल लोकेषन प्राप्त की गई तो उक्त मोबाइल की लोकेषन केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, (सी.बी.एन.) भवानीमण्डी में होना पाई गई है। सहपरिवादी द्वारा मोबाइल पर बताए अनुसार उसके पिता के मोबाइल की लोकेशन सी.बी.एन., कार्यालय भवानीमण्डी में होना स्पष्ट होने से परिवादी द्वारा मोबाइल पर दी गई सूचना की पुष्टि हुई। श्री दिलीप सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय उपमहानिरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरों कोटा तलविदा उपस्थित आया। समय 01.05 पीएम पर परिवादी से हुई टेलीफोनिक वार्ता अनुसार परिवादी ने हैंगिंग ब्रिज के आस-पास मिलने हेतु बुलाया है व पुनः कॉल कर डाबी क्रोस करना अवगत कराया है। अतः श्री किशनलाल उप निरीक्षक, श्री भूपेन्द्रसिंह कानि0 292, राजेन्द्र कुमार कानि0 279, श्रीमती सरोज हैड कानि0 81, श्रीमती सुमन शर्मा म0 कानि0 275 व श्री दिलीप कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री करण सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री घनश्याम कानि0 609 के हैंगिंग ब्रिज आम रोड कोटा हेतु रवाना किया तथा फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी सरकारी वाहन टवेरा के डेस्ट वोर्ड मे रखबायी गई।

उक्त वाहन के पीछे-पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री लालचन्द कानि0 30, मय दोनों स्वतंत्र गवाहान के प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बाक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड व ट्रेप मे काम आने वाली आवश्यक सामग्री हैंगिंग ब्रिज आम रोड कोटा रवाना होकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के हैंगिंग ब्रिज के बाद सर्विस लाईन पहुंचा। जहां पर परिवादी अपने प्राइवेज वाहन मारूती बलेनो से मय अपने भाई श्री मोहन लाल व एक अन्य व्यक्ति के मौजूद मिले। समयः-01.30 पीएम पर परिवादी श्री मोहनलाल तैली पुत्र श्री भंवरलाल तैली जाति तैली उम्र 30 साल निवासी ग्राम मेजा, तहसील व पुलिस थाना माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा मोबाइल नंबर[redacted] व सहपरिवादी श्री मदनलाल तैली (परिवादी का बड़ा भाई) ने एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मै ग्राम मेजा तहसील मांडल जिला भीलवाडा का रहने वाला हूं। मैरी पोल बनाने की फेक्ट्री है। मेरे पिता जी खेती बाडी का काम करते है। दिनांक 07.11.2025 को मैं व मेरे पिताजी एवं परिवार वाले हमारे घर पर ही मौजूद थे। शाम के 7 बजे करीब सी.बी.एन. विभाग के सी.आई.साहब हितेश कुमार जिन्होने वर्दी पहनी थी व नेमप्लेट लगी थी। एक थानेदार व तीन चार अन्य लोग बोलेरो गाडी नम्बर एम.पी. 14 जेड डी 7247 व एक स्विप्ट डिजायर ब्लू कलर की जो आर.जे. 14 नम्बर से शुरू होते थे से आये तथा मेरे पिता जी श्री भंवर जी को पकड लिया तथा कहा की हमने सेफअली के खिलाफ मुकदमा एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दर्ज किया था तब सेफअली ने माल इनको देने के लिए बताया तब से इनके खिलाफ मुकदमा पेण्डिगं चल रहा है। जबकि हमारा सेफअली खान से कोई लेना देना नही है उसके बाद वह लोग मेरे पिता जी को बोलेरो गाडी मे जबरदस्ती बिठाकर लाने लगे तो मैंने मना किया तो उनमे से एक व्यक्ति ने अपने नम्बर[redacted] मुझे बताते हुए कहा कि मेरा नाम दिनेश गुर्जर है। मै भवानी मण्डी नारकोटिक्स विभाग मे हूं तथा पास मे बैठे व्यक्ति के लिए कहा की यह सी.आई.साहब हितेश जी है व दूसरे एस.आई.साहब व जाप्ता है फिर वह लोग रवाना हो गये व यह कहकर गये कि उक्त नम्बर पर वॉट्सएप कॉल कर लेना सब बता देगें। मैने उनके रवाना होते ही थोडी देर बाद उक्त नम्बर पर मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] से वॉट्सएप कॉल किया तो सामने से कहा गया की एक दो किलोमीटर आगे आजाओ। मांडल साईड गया तो वह लोग मिल गये जहां दिनेश जी व 3 स्टार वाले व्यक्ति हितेश कुमार ने मेरे से कहा की पैसे की व्यवस्था कर लाये। मैने कहा कितने तो उनके लोगों ने चार लाख रूपये लाने की कही। मैने कहा कि मेरे पास तो 2-3 हजार रूपये है ज्यादा नहीं दे सकता। इस पर वह लोग मेरे पिताजी को लेकर चले गये तथा जाते समय कह कर गए कि पैसे की व्यवस्था हो जाऐ तो बात कर लेना। फिर कल सुबह मेरे पापा के मोबाईल नम्बर[redacted] से मेरे मोबाईल पर नार्मल फोन आया व मेरे पिता ने कहा कि यह लोग मेरे को एन.डी.पी.एस. के बडे केस मे फसाने की धमकी दे रहे है व कह रहे कि चार लाख रूपये तुम्होरे घर वालों से मंगवाओ तो मैने कहा कि इतने पैसे की व्यवस्था नही होगी। मै उन लोगो से बात करता हूं। उसके बाद दिनेश जी के वॉट्सएप नम्बर पर कॉल किया तो वापस चार लाख रूपये मांगे व मैने कहा कि इतने नही होगे मैने कहा कि दस बीस हजार रूपये करदूं। फिर मेरे मिन्नत करने पर ये लोग तीन लाख पर राजी हो गए। फिर आज मेरे पिताजी के फोन से दिनेश गुर्जर ने फोन किया व कहा कि पैसे लेकर आजाओ मैने कहा 2 लाख ही हुये है तो उसने कहा की 2 लाख लेकर रवाना हो जा। एक लाख किसी से और करलो। मै एन.डी.पी.एस. विभाग वालो को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं उनको पकडवाना चाहता हूं। कार्यवाही पुलिस दिनांक 09.11.2025 समयः- 01.35 पीएम परप्रार्थना पत्र परिवादी को पढकर सुनाया गया व दरियाफ्त किया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना बताया व अवगत कराया कि श्री हितेश कुमार जी व उनके साथी दिनेश कुमार से हमारी मोबाइल नम्बर [redacted] पर कई बार वार्ता हुई है तो उन लोगों ने हमे रिश्वत राशी लेकर जितना हो सके उतना जल्दी भवानीमंडी अपने ऑफिस में पहुंचनें हेतु कहा है। उन लोगों से व्हाटसअप नम्बर पर हुई वार्ताओं को मैंने मेरे मोबाइल का स्पीकर ऑन कर एक अन्य मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है।हितेश व उनका साथी मेरे बार-बार निवेदन करने पर 300000 रूपये लेने पर सहमत हो गये हैं। वह लोग अब मेरे से आमने-सामने बात करने के बाद तुरन्त ही मुझसे रिश्वत राशी प्राप्त करेंगें। वह लोग मुझे सत्यापन वार्ता करने का मौका नहीं देंगें।मैं गरीब आदमी हूं इसीलिए उनसे हुई वार्ता अनुसार मैं 30000 रूपये के नोट एवं 270000 रूपये के डमी नोटों की व्यवस्था करके साथ लेकर आया हूं। मेरे पिताजी के मोबाइल नम्बर [redacted] है। जो उन्हीं के पास है। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार अधिनियम की परिधि में आता है। लेकिन परिवादी द्वारा दरियाफ्त पर बताये अनुसार परिवादी व आरोपीगण के मध्य आमने-सामने सत्यापन वार्ता करवाया जाना संभव नहीं होने से समयः-01.42 पीएम पर परिवादी श्री मोहनलाल से अपने मोबाइल नंबर[redacted] से आरोपी द्वारा उपलब्ध करवाए गए मोबाइल नंबर[redacted]पर मोबाइल का स्पीकर ऑन कर व्हाट्सअप कॉल करवाया गया तो सामने से आरोपी ने कहा कि तुम आ जाओ इस पर परिवादी ने कहा कि मेरे पिताजीको हैण्ड टू हैण्ड छोड दोगे ना तो कहा कि हां कि तुम्हारे साथ ही भेज देंगे। इस पर परिवादी ने कहा कि अभी तीन की व्यवस्था हुई है तो आरोपी कहता कि फिर बाकी के तो परिवादी ने कहा कि आज सुबह आपसे तीन की ही बात हुई थी। इस पर आरोपी ने कहा कि ठीक है तुम आ जाओ देख लेगे इत्यादि। उक्त वार्ता को सरकारी डिजिटल वाइस रिकॉर्डर में लगे फ्रेश मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र, दरयाफ्त एवं उक्त वार्ता से आरोपी द्वारा परिवादी के पिता को छोडने की एवज में 03 लाख रूपये रिश्वत मांग की पुष्टि हुई। समय 1.45 पीएम पर परिवादी श्री मोहनलाल ने

सहपरिवादी श्री मदनलाल एवं दोनों स्वतंत्र गवाह श्री सचिन मेहता व श्री तरूण जैन के समक्ष एक मोबाइल ओप्पो कंपनी बरंग सिल्वर जिसमें से जिओ कंपनी के मोबाइल नंबर [redacted] की सिम निकालकर मोबाइल व एक पेनड्राइव मन अति. पुलिस अधीक्षक पेश किया व बताया कि आरोपी दिनेश कुमार से व्हाट्अप नंबर [redacted] पर मेरे मोबाइल से व्हाट्सअप कॉल पर एवं मेरे पिताजी के फोन से आरोपी दिनेश कुमार एवं मेरे पिताजी से मोबाइल पर हुई वार्ता को मेरे मोबाइल का स्पीकर ऑन कर जो-जो वार्ताएं हुई उनको मैंने इस मोबाइल में विडियोरिकॉर्ड कर लिया था जिन्हें उक्त मोबाइल के फोटोज फोल्डर में सेव कर लिया था तथा उक्त विडियोरिकॉर्डिंग को मैंने पृथक से 01 पेनड्राइव में कॉपी कर सेव कर लिया है। मोबाइल व पेनड्राइव आपको पेश कर रहा हूं। इस पर परिवादी द्वारा पेश किए गए उक्त मोबाइल के फोटोज फोल्डर के कैमरा सबफोल्डर को खोलकर देखा तो पहली रिकॉर्डिंग 23 सेकण्ड जो मोबाइल नंबर [redacted] से, दूसरी रिकॉर्डिंग 59 सेकण्ड जो मोबाइल नंबर [redacted] से, तीसरी रिकॉर्डिंग 3.23 मिनट जो भंवर पापा के नाम से तथा 01 फोटो मोबाइल नंबर [redacted] पर हुई वार्ताओं की डिटेल का पाया गया। उक्त रिकॉर्डिंग को चलाकर सुना गया तो उक्त रिकॉर्डिंग वार्ताओं में परिवादी से आरोपी दिनेश कुमार एवं पिता भंवरलाल द्वारा रिश्वत राशी एवं भंवरलाल को बिना कार्यवाही छोडने के संबंध में वार्ता होना पाई गई । अतः उक्त मोबाइल को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा मोबाइल को सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील्ड मोहर किया गया। नमूना सील फर्द पर अंकित की गई। परिवादी द्वारा पेश पेनड्राइव को अनुसंधानाधिकारी हेतु अनसील्ड रखा गया। फर्द जब्ती पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए गए। समयः-2.00 पीएम पर परिवादी श्री मोहनलाल को सहपरिवादी श्री मदनलाल के अपने स्वयं के निजी वाहन से तथा श्री किशनलाल उप निरीक्षक, श्री भूपेन्द्र सिंह कानि0 292, राजेन्द्र कुमार कानि0 279, श्रीमती सरोज हैड कानि0 81, श्रीमती सुमन शर्मा म0 कानि 0 275 व श्री दिलीप कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री करण सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय सरकारी बाहन टवेरा मय चालक श्री घनश्याम कानि0 609 के हैंगिंग ब्रिज के बाद स्थित सर्विस रोड से भवानीमण्डी हेतु रवाना किया तथा उक्त वाहन के पीछे-पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री लालचन्द कानि0 30, मय दोनों स्वतंत्र गवाहान के प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड व ट्रेप मे काम आने वाली अन्य आवश्यक सामग्री के भवानीमण्डी के लिए रवाना होकर मन अति. पुलिस अधीक्षक मय प्राईवेट व सरकारी वाहन तथा परिवादी, सहपरिवादी अपने निजी वाहन से भवानीमण्डी से पहले गोपनीय स्थान पर पहुंचा । समय 4.00 पीएम पर परिवादी श्री मोहनलाल ने सहपरिवादी मदनलाल की उपस्थिति में रूबरू गवाहान 1. श्री तरूण जैन 2. श्री सचिन मेहता के समक्ष अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500-500 के 60 नोट कुल 30,000/-रूपये एवं 540 डमी नोट (कुल 3,00,000/-रूपये मूल्य के जिनमें 60 नोट 500-500 के असली भारतीय मुद्रा के एवं 540 डमी नोट भारतीय मनोरंजन बैंक) मन अति. पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किये। नोटों के नम्बर इस प्रकार है-

S.NO. नोट का प्रकार नोट क्रमाकं

1. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6AD354213
2. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7LP625602
3. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9KS648285
4. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1DM832229
5. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3RV775718
6. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9FK747036
7. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1GB854023
8. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4HU729163
9. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4HU729164
10. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4HU729166
11. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4HU729150
12. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4HU729153
13. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4HU729152
14. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4HU729154
15. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4HU729155
16. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4HU729156
17. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3EL654719
18. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4WR442860
19. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0NL926588
20. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4GG483895
21. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7CQ826842

22. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8EV990872
23. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8KU140560
24. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1HV922736
25. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6PA715091
26. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4DP527011
27. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4DP527012
28. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7PT068316
29. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6LM060023
30. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4EG159778
31. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7QR623073
32. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9KS648286
33. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8FG066404
34. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9MU216838
35. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1KE810022
36. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7QU900022
37. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7PG328751
38. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7RA481545
39. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8PQ260972
40. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9DR997832
41. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 5WK545523
42. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0CR161602
43. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6FC146328
44. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8TT207364
45. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0MW103639
46. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9GB828694
47. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4WG260587
48. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0EC922298
49. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0BD562401
50. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8KP176083
51. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3CV532196
52. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9GB195660
53. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6WU369652
54. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8EM670082
55. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9DQ868468
56. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7NM374212
57. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6PW323026
58. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7PA236024
59. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9VV537558
60. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8TM790289
61. 540 डमी नोट (भारतीय मनोरंजन बैंक) VALUE 2,70,000/-

श्रीमती सुमन महिला कानि. 275 द्वारा राजकीय वाहन के डेश बोर्ड में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई तथा प्राईवेट वाहन के बीच की सीट पर एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर भली भांति इस प्रकार लगवाया गया कि पाउडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे तथा भारतीय मुद्रा के 500-500 के 60 नोटों में से 40 नोटों को 60 डमी नोटों की गड्डी के दोनों ओर 21 व 19 असल 500-500 के नोटों को मिला कर एक गड्डी 100 नोटों की बनाई गई तथा दूसरी 80 डमी नोटों की गड्डी के दोनों ओर 500-500 रू. के 20 असल नोटों में से 10-10 नोट रखवाकर कुल 100 नोटों की द्वितीयगड्डी तैयार करवाई गई। शेष 04 डमी नोटों की गड्डियां जिसमें प्रत्येक में 100-100 डमी नोट, इस प्रकार कुल 06 गड्डियां कुल 3,00,000/-रू. मूल्य की तैयार करवाकर

स्वतंत्र गवाह श्री सचिन मेहता से परिवादी श्री मोहनलाल की जामा तलाशी लिवाई जाकर परिवादी के पास उसके पहने हुये वस्त्रों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत फिनोफ्थलीन पाउडर युक्तराशि को श्रीमती सुमन महिला कानि. 275 से एक काले रंग की पॉलीथीन में इस प्रकार रखवाई गई जिन डमी नोटों पर असली नोट रखवाए गए थे उन दोनों गड्डियों को उपर की तरफ तथा शेष 04 गड्डियों को नीचे की तरफ रखवाई जाकर उक्त पॉलीथीन को परिवादी द्वारा लाई हुई काले रंग के कपड़े की थैली में रखवाकर उक्त थैली को सीधे ही परिवादी के सपुर्द किया गया। तत्पश्चात एक प्लास्टिकके डिस्पोजल गिलास में वाहन में रखी बोतल से साफ पानी मंगवाया जाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया जिसे गवाहान व परिवादी को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। उक्त रंगहीन घोल मेंश्रीमती सुमन महिला कानि275 के हाथों की अंगुलियों व अंगूठे को डलवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोटो को अपने हाथों से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। डिस्पोजल गिलास के घोल को बाहर फिंकवाया गया तथा जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि/नोटों पर फिनोथफ्लीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को श्रीमती सुमन महिला कानि. 275 से जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। श्रीमती सुमन महिला कानि. 275 के हाथों व ट्रेप कार्यवाही मे काम आने वाली शीशीयों को साबुन व पानी से अच्छी तरह से धुलवाया गया परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुये एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि निकालकर देवे। आरोपी से रिश्वत राशिव स्वयं के कार्य के सम्बन्ध में स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत देने के बाद मेरे मोबाईल[redacted]पर मिस कॉल करके या सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करें। दोनो स्वतन्त्र गवाहान को भी समझाया गया कि रिश्वत के लेन देन को यथा सम्भव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। परिवादी श्री मोहनलाल तेली को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के दिया जाकर चालू व बन्द करने का तरीका समझाया जाकर हिदायत दी गई कि वक्त रिश्वत लेन देन एवं आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करे। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीश श्रीमती सुमन महिला कानि. 275 को वापस संभलाईजाकर उसे गोपनीय स्थान से कार्यालय एसीबी एसयू कोटा के लिए रवाना किया गया। फर्द पेशकशी नियमानुसार मुर्तिब कर सम्बन्धित परिवादी व गवाहान को पढ़ कर सुनाई गई। सभी ने सुन, समझ सही होना स्वीकार कर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 4.50 पीएम पर परिवादी श्री मोहनलाल को मय सहपरिवादी श्री मदनलाल के रिश्वती राशि व डिजीटल वाइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सहित आरोपी श्री हितेश कुमार के कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, भवानीमण्डी जिला झालावाड़ रवाना किया गया तथा श्री लालचन्द कानि. 30 को निगरानी हेतु परिवादी के हमराह भेजा गया एवं मन अति. पुलिस अधीक्षक मय गवाहान एवं जाप्ता सरकारी व प्राईवेट वाहनों से परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुआ। समय 5.25 पीएम पर परिवादी श्री मोहनलाल व सहपरिवादी श्री मदनलाल मय श्री लालचन्द कानि.30 के नारकोटिक्स कार्यालय भवानीमण्डी के कार्यालय की तरफ जाने वाले रोड पर रवाना हुए तो मन अति. पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप टीम व स्वतंत्र गवाहान के उक्त चौराहे से पैदल-पैदल नारकोटिक्स कार्यालय के सामने खाली जगह व कार्यालय के आसपास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम हुए। समय 06.14 पीएम पर सहपरिवादी श्री मदनलाल ने अपने मोबाइल से मन अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाइल पर फोन कर बताया कि ऑफिस में हितेश जी सीआई साहब तो नहीं मिले हैं मेरे से दिनेश कुमार मिला था जिससे मेरी मेरे पिताजी को छोडने के संबंध में वार्ता हुई है। उन्होंने किसी के मोबाइल से मेरी हितेश जी से वार्ता करवाई है और हितेश जी ने एक-डेढ घण्टे बाद कार्यालय में आने हेतु कहा है। मैंने कार्यालय से बाहर आकर डिजीटल वाइस रिकॉर्डर को मेरी गाडी में बैठकर बंद कर लिया है। मैं आपके पास ही आ रहा हूं। इस पर मन अति. पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप टीम के नारकोटिक्स कार्यालय से थोडी दूरी पर स्थित चौराहे के लिए रवाना हुआ। समय 6.20 पीएम पर मन अति. पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप टीम के चौराहे पर पहुंचा परिवादी श्री मोहनलाल व सहपरिवादी श्री मदनलाल भी उपस्थित आए। परिवादी ने डिजीटल वाइस रिकॉर्डर बंद कर स्वयं के पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मोबाइल पर हुई वार्ता के ही तथ्य दोहराते हुए करीब एक घण्टे बाद आरोपी हितेष द्वारा उनके कार्यालय में बुलाने की बात कही है। समय 7.40 पीएम पर परिवादी श्री मोहनलाल ने बताया कि आरोपी दिनेश कुमार का मेरे मोबाइल पर अभी-अभी फोन आया है, वह मुझे रूपये लेकर नारकोटिक्स ऑफिस में बुला रहा है। इस पर परिवादी को मय सहपरिवादी के नारकोटिक्स कार्यालय में रिश्वत राशिदेने हेतु रवाना किया एवं पुनः डिजीटल वाइस रिकॉर्डर चालू कर रिश्वत लेन देन वार्ता रिकॉर्ड करने की समझाइश की तथा श्री लालचन्द कानि. 30 निगरानी हेतु हमराह परिवादी किया गया एवं मन अति. पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप टीम के परिवादी के पीछे-पीछे नारकोटिक्स ऑफिस भवानीमण्डी के पास पहुंचा तथा कार्यालय के सामने खाली जगह एवं कार्यालय के दक्षिण ओर खाली प्लाट व उत्तर की ओर स्थित मकानों के सामने अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम हुए। समय 8.03 पीएम पर सहपरिवादी श्री मदनलाल तेली पुत्र श्री भंवरलाल तैली जाति तेली उम्र 30 साल निवासी ग्राम मेजा, तहसील व पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा मोबाइल नंबर[redacted]ने मन् अति. पुलिस अधीक्षक को पूर्व निर्धारित ईशारा स्वयं के मोबाईल नम्बर से मन अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर

[redacted] पर कॉल कर किया। इस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व हमराही जाप्ता के रवाना हो कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, भवानीमण्डी जिला झालावाड़ के गेट पर आया व परिवादी से डिजीटल वाइस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। इसी दौरान गेट पर और भी 5-7 व्यक्ति खडे थे जिनमें से एक व्यक्ति जो बादामी रंग का अपर पहने हुए की तरफ सहपरिवादी ने ईशारा कर बताया कि हितेश जी सी.आई. साहब के कहने पर इसी ने मुझसे रिश्वत राशि3,00,000/-रू. की थैली प्राप्त की थी। इस पर उक्त व्यक्ति को मन अति. पुलिस अधीक्षक ने स्वयं व टीम का परिचय देकर आने के मंतव्य से अवगत कराया । तत्पश्चात उक्त व्यक्ति का बायां हाथ श्री राजेन्द्र कुमार कानि. 279 तथा दायां हाथ श्री किशनलाल उनि. से पकड़वाया जाकर कार्यालय के अन्दर पूछताछ करने के लिए लेकर आया व कार्यालय में मौजूद श्री दिपांकर कुमार कृष्ण निरीक्षक से कार्यालय में बैठकर कार्यवाही करने हेतु मौखिक स्वीकृति चाही तो उसके द्वारा अधीक्षक कक्ष उपलब्ध करवाया। इस पर उक्त कक्ष में बैठकर अग्रिम कार्यवाही शुरू करते हुए डिटेनशुदा व्यक्ति से उसका नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री अकरम हुसैन पुत्र श्री मो.हकीम हुसैन जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी वार्ड नंबर 8, ईमाम चौक के पास तहसील लाडपुरा, कैथून, कोटा, हाल प्राईवेट व्यक्ति (दलाल)कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, भवानीमण्डी, जिला झालावाड बताया। इस पर पास ही खडे परिवादी मोहनलाल ने कहा कि यह व्यक्ति अपना नाम गलत बता रहा है।इस व्यक्ति ने तो दिनांक 07.11.2025 को मेरे पिताजी को लाते वक्त अपना नाम दिनेश कुमार बताया था व अपने मोबाइल नंबर [redacted] बताए थे तथा आज भी मेरे पिताजी को छोडने की बात की तब भी इस व्यक्ति ने अपना नाम दिनेश कुमार बताया था। इस पर आरोपी अकरम हुसैन ने कहा कि सर मेरा नाम अकरम हुसैन ही है, मैंने तो उस दिन व आज हितेश जी इंस्पेक्टर साहब के कहे अनुसार ही इन लोगों को अपना नाम दिनेश कुमार बता दिया था। तत्पश्चात श्री अकरम हुसैन से परिवादी श्री मोहनलाल तेली के पिता श्री भंवरलाल को छोडने की एवज में सहपरिवादी और परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशिके बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि मैंने श्री हितेश कुमार सीआई साहब के कहने पर उनके सामने ही श्री मदनलाल से रिश्वत राशि की थैली ली थी तथा थैली को खोलकर देखा तो उसमें काले रंग की पॉलीथीन में 500-500 रू. के नोटों की 06 फ्रेश गड्डियां रखी थी जो हितेश जी साहब ने भी देखी थी । उसके बाद हितेश जी साहब ने मोहनलाल, उसके पिता व एक अन्य व्यक्ति के आधार कार्ड की फोटोप्रतियां लेकर मोहनलाल एवं उसके पिता को जाने के लिए कह दिया था। उसके बाद मोहनलाल व उसके साथ वाला व्यक्ति व मोहनलाल के पिता भंवरलाल बाहर चले गए तो हितेश सी.आई. साहब ने मेरे द्वारा सीआई साहब के कहने पर लिए गए 03 लाख रूपये जो थैली में रखे थे को थैली सहित हितेश जी साहब ने मुझसे ले लिए थे, उसके बाद सीआई साहब हितेश जी मोहनलाल के पीछे से बाहर निकल गए थे। इस पर आस पास हितेश कुमार, निरीक्षक, कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो भवानीमण्डी की मन अति. पुलिस अधेठीक्षक ने शेष जाप्ता की मदद से तलाश की गई तो कार्यालय एवं कार्यालय की छत पर नहीं मिला । कार्यालय के आस पास के इलाके में भी टॉर्च की रोशनी से तलाश के भरसक प्रयास किए लेकिन हितेश कुमार का कोई पता नहीं चल सका। इस पर वापस कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो भवानीमण्डी आया व डिटेनशुदा श्री अकरम हुसैन की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई। श्री अकरम हुसैन के हाथ धुलाई हेतु अधीक्षक कक्ष के पीछे लगे वॉशबेसिन के नल से से दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी भरवाया गया। सोडियम कार्बानेट पाउडर की शीशी में से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर दोनों गिलासों में डालकर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक गिलास के रंगहीन घोल में श्री अकरम हुसैन के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर मार्क क्रमशः आर एच-1, आर एच-2 अंकित कर सील चिट मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में श्री अकरम हुसैन के बायें हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर मार्क क्रमशःएल एच-1, एल एच-2 अंकित कर सील चिट मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री हितेश कुमार, निरीक्षक ब्यूरो टीम को देखकर अंधेरे का लाभ लेते हुए व्यक्तियों की भीड़ में शामिल हो मन अति. पुलिस अधीक्षक व ट्रेप टीम द्वारा श्री अकरम हुसैन को पकडने के दौरान फरार हो गया जिसके मोबाइल नंबर कार्यालय में मौजूद श्री दिपांकर कुमार कृष्ण निरीक्षक से प्राप्त किए तो उनके द्वारा आरोपी श्री हितेश कुमार निरीक्षक के मोबाइल नंबर [redacted] बताए। इस पर उक्त मोबाइल नंबर की लोकेशन प्राप्त की गई तो उक्त मोबाइल नंबरों की लोकेशन कार्यालय के आस पास बाईं तरफ खाली प्लाटों में होना पाई गई। आरोपी के मोबाइल की लोकेशन उक्त खाली प्लाट में आने व आरोपी की उक्त खाली प्लाट में मौजूदगी होने के मध्येनजर डिटेनशुदा आरोपी अकरम हुसैन की निगरानी हेतु श्री राजेन्द्र कुमार कानि. 279 को नियुक्त कर आरोपी हितेष कुमार निरीक्षक की तलाष हेतु मन अति. पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह व हमराही जाप्ता विडियोरिकॉर्डिंग चालू करवाकर टॉर्च की रोशनी में तलाश करता हुआ कार्यालय के पास स्थित दो मकानों के बाद खाली प्लाट में पहुंचा व तलाश शुरू की गई । तलाशी के दौरान प्लाट के मध्य में एक मोबाइल व मोबाइल के पास कुछ कागज दिखे जिनको गवाह श्री तरूण जैन से उठवाया गया तो मोहनलाल तैली, भंवरलाल तेली व राकेश धोबी के आधार कार्ड की फोटोप्रतियां व एक मोबाइल जिसपर काले रंग का कवर लगा हुआ है, कवर को हटाकर देखा तो वनप्लस कंपनी

बरंग हल्का आसमानी है जो पासवर्ड से लॉक है। उक्त मोबाइल व तीनों आधारकार्डों की फोटोप्रतियां को गवाह श्री तरूण जैन के पास सुरक्षित रखवाया गया। तदुपरान्त पुनः तलाश शुरू की गई। खाली प्लाट की झाड़ियों में गहनता से तलाश करते हुए प्लाट के आखिरी कोने में जहां दीवार टूटी हुई के पास पहुंचा तो एक 500-500 रू. के नोटों की गड्डी नजर आई जिसे गवाह श्री सचिन मेहता से उठवाकर उसके पास सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात टूटी दीवार से आगे के प्लाट की तरफ प्रवेश किया तो एक गड्डी 500-500 रू. के नोंटों की और नजर आई जिसे भी गवाह श्री सचिन मेहता से उठवाकर उसके पास सुरक्षित रखवाई तथा आगे झाडियो में तलाशी की गई लेकिन आखिरी दीवार तक कुछ नहीं मिला। इस पर वापस पहले वाले खाली प्लाट के पीछे की तरफ की दीवार में बने छोटे से गेट से निकला तो सामने खुला हांका हुआ खेत नजर आया, जिसमें भी गहनतापूर्वक तलाश की गई तो थोडी थोडी दूरी पर दो मोबाइल पड़े हुए नजर आए जिनको गवाह श्री सचिन मेहता को उठवाकर चैक किया तो एक मोबाइल सेमसंग कंपनी बरंग आसमानी तथा दूसरा मोबाइल जिसपर सफेद कवर लगा हुआ है। कवर हटाकर देखा तो रियलमी कंपनी का बरंग आसमानी होना पाया। उक्त दोनों मोबाइल को गवाह श्री सचिन मेहता के पास सुरक्षित रखवाकर खेतों व दीवारों के आस पास गहन तलाशी की गई लेकिन शेष रिश्वत राशिएवं आरोपी हितेश कुमार का कोई पता नहीं चल सका। इस पर रवाना हो वापस अधीक्षक कक्ष में आया व गवाह श्री सचिन मेहता के पास तलाशी के दौरान मिली 500-500 रू. की दोनो गड्डियों को दोनों गवाहान से चैक करवाया गया तो एक गड्डी में आगे 21 नोट व पीछे 19 नोट भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के असली नोट व बीच में 60 डमी नोट होना पाया इस पर गवाह हितेश कुमार को फर्द पेशकशी देकर नोटों के नंबरों का मिलान करने हेतु कहा गया तो दोनों गवाहान ने नोटों के नंबरों का मिलान फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नंबरों से कर बताया कि यह वही नोट हैं जिन पर गोपनीय स्थान पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था तथा दूसरी गड्डी में 500-500 रू. मूल्य के 100 डमी नोट होना पाया। उक्त रिश्वत राशिके नोटों के नम्बर निम्न प्रकार है-

S.NO. नोट का प्रकार नोट क्रमाकं

1) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6AD354213
2) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7LP625602
3) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9KS648285
4) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1DM832229
5) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3RV775718
6) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9FK747036
7) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1GB854023
8) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4HU729163
9) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4HU729164
10) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4HU729166
11) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4HU729150
12) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4HU729153
13) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4HU729152
14) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4HU729154
15) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4HU729155
16) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4HU729156
17) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 3EL654719
18) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4WR442860
19) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 0NL926588
20) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4GG483895
21) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7CQ826842
22) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8EV990872
23) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8KU140560
24) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1HV922736
25) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6PA715091
26) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4DP527011
27) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4DP527012
28) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7PT068316
29) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6LM060023

30) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 4EG159778
31) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7QR623073
32) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9KS648286
33) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8FG066404
34) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9MU216838
35) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 1KE810022
36) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7QU900022
37) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7PG328751
38) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 7RA481545
39) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 8PQ260972
40) एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 9DR997832
41 60 डमी नोट (भारतीय मनोरंजन) जो उपरोक्त 40 भारतीय मुद्रा के नोटो के बीच रखे थे जिसमे एक तरफ 21 नोट दूसरी तरफ 19 नोट रखे थे VALUE 30,000/-
42 100 डमी नोट (भारतीय मनोरंजन बैंक) VALUE 50,000/-

इस पर उक्त सभी नोटों को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर बजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। तलाशी के दौरान गवाह श्री तरूण जैन के पास रखवाए गए मोबाइल व उसके पास मिले कागजों को चैक किया गया तो एक मोबाइल जिसपर काले रंग का कवर लगा हुआ है, कवर को हटाकर देखा तो वनप्लस कंपनी बरंग हल्का आसमानी है जो पासवर्ड से लॉक है। मोबाइल की सिम ट्रेपको निकाल कर देखा तो 01 सिम वोडाफोन-आईडिया कंपनी की जिसके सिम नंबर [redacted] तथा दूसरी सिम जिओ कंपनी की जिसके सिम नंबर [redacted] है तथा मोहनलाल तैली, भंवरलाल तेली व राकेश धोबी के आधार कार्ड की फोटोप्रतियां व उक्त मोबाइल व तीनों आधारकार्डों की फोटोप्रतियां जिन पर तीनों के हस्ताक्षर हो रखे हैं। मोहनलाल के आधार कार्ड की फोटोप्रति पर मोबाइल नंबर [redacted] अंकित है। अतः आधार कार्ड की फोटोप्रतियों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए जाकर व मोबाइल को बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया जाकर अनसील्ड रखा गया। गवाह श्री सचिन मेहता के पास सुरक्षित रखवाए गए मोबाइलों की सिम ट्रे को चैक किया गया तो एक मोबाइल सेमसंग कंपनी बरंग आसमानी एयरटेल कंपनी की सिम नंबर 0125आईडी [redacted]यू तथा मोबाइल पर स्क्रीन लॉक लगा हुआ है तथा दूसरा मोबाइल जिसपर सफेद कवर लगा हुआ रियलमी कंपनी का बरंग आसमानी की सिम ट्रेको चैक किया गया तो उसमें जिओ कंपनी सिम नंबर [redacted] तथा सिम नंबर [redacted] तथा 01 माइक्रो एसडी कार्ड 4 जीबी का लगा हुआ है तथा मोबाइल पर स्क्रीन लॉक लगा हुआ है। उक्त दोनों मोबाइलों को बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया जाकर अनसील्ड रखा गया। बरामदगी, तलाशी व हाथ धुलाई की कार्यवाही की वीडियोग्राफी श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 से सरकारी मोबाईल में फ्रेश मैमोरी कार्ड लगवाकर मोबाइल को मैमोरी कार्ड मोड पर लेकर करवाई गई। फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई हस्ब कायदा मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों को पढ़ कर सुनाई गई। सभी ने सुन, समझ सही होना स्वीकार कर अपने-अपने हस्ताक्षर किये।
इस प्रकार सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री हितेश कुमार निरीक्षक, कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, भवानीमण्डी, जिला झालावाड़ पुराने एनडीपीएस के प्रकरण में परिवादी के पिता श्री भंवरलाल तैली का नाम होने की कहकर दिनांक 07.11.2025 को परिवादी के पिता को उसके गांव से मय जाप्ता के साथ लेकर आना, परिवादी के पिता का नाम प्रकरण से हटाने की एवज में 04 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी के निवेदन करने पर 03 लाख रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होना, रिश्वत लेन देन के दौरान परिवादी के पिता को छोड़ने से संबंधित वार्ता करते हुए रिश्वत राशि 03 लाख रूपये दलाल अकरम हुसैन को देने हेतु कहना,परिवादी मोहनलाल, उसके पिता भंवरलाल व राकेश कुमार के आधार कार्ड की फोटोप्रतियां प्राप्त कर भंवरलाल को परिवादी के साथ भेजना, आरोपी अकरम हुसैन द्वारा 03 लाख रूपये रिश्वत राशिग्रहण कर हितेश कुमार निरीक्षक को देना, अकरम के बाएं हाथ का धोवन का रंग गुलाबी व दाहिने हाथ का धोवन का रंग हल्का गुलाबी आना, हितेश कुमार का रिश्वत राशि एवं आधार कार्डों की फोटोप्रतिया सहित फरार होना, आरोपी के मोबाइल की लोकेशन प्राप्त होने पर तलाशी के दौरान आरोपी के मोबाइल एवं उक्त तीनों व्यक्तियों के आधारकार्डों की फोटोप्रतियां तथा रिश्वत राशिके 40 नोट 500-500 रूपये के भारतीय मुद्रा के व 500-500 के डमी 160 नोट मिलना, तलाशी के दौरान मिले भारतीय मुद्रा के 500-500रू. के 40 नोटों का मिलान फर्द पेशकशी से होना, इत्यादि संपूर्ण कार्यवाही से आरोपीगण 1. श्री हितेश कुमार निरीक्षक, कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, भवानीमण्डी, जिला झालावाड 2. श्री अकरम हुसैन पुत्र श्री मोहम्मद हाकिम हुसैन जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी वार्ड नंबर 8, ईमाम चौक के पास तहसील लाडपुरा, कैथून, कोटा, दलाल व अन्य का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7ए, 12

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) एवं 238, 61(2) बी.एन.एस. के तहत दण्डनीय अपराध है। दिनांक 10.11.2025 समय 2.50 एएम पर आरोपी श्री दिनेश उर्फ श्री अकरम हुसैन पुत्र श्री मोहम्मद हाकिम हुसैन जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी वार्ड नंबर 8, ईमाम चौक के पास तहसील लाडपुरा, कैथून, कोटा, दलाल से परिवादी मोहनलाल के मोबाइल नंबर [redacted] पर व्हाट्सअप पर एवंपरिवादी के पिता श्री भंवरलाल के मोबाइल नंबर [redacted] पर हुई मोबाइल वार्ताएं दिनांक 08.11.2025 एवं 09.11.2025 जो परिवादी द्वारा मोबाइल में वीडियोरिकॉर्डिग की गईएवं दिनांक 09.11.2025 को समय 1.42 पीएम पर मन अति.पुलिस अधीक्षक द्वारा करवाई गई मोबाइल वार्ता जिसे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था एवं दौराने रिश्वत लेन देन हुई वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी में आवाज का परीक्षण राज. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर से करवाने हेतु आरोपी की आवाज के नमूने की आवश्यकता होने से आरोपी अकरम हुसैन को नोटिस नमूना आवाज दिया जाकर अपनी आवाज का नमूना देने की सहमति अथवा असहमति लिखित में चाहने हेतु निर्देशित किया गया। इस पर आरोपी अकरम हुसैन द्वारा लिखित में मूल नोटिस पर अपना जवाब प्रस्तुत किया कि "मैं स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूं"अतः नोटिस नमूना आवाज को शामिल पत्रावली किया गया। समय 3.00 एएम पर स्वतंत्र गवाहान तरूण जैन व सचिन मेहताके समक्ष व परिवादी श्री मोहनलाल व सहपरिवादी मदनलाल की उपस्थिति में परिवादी श्री मोहनलाल व आरोपी दिनेश उर्फ अकरम हुसैन के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 09.11.2025 को मोबाइल से व्हाट्सअप पर करवाई गई वार्ता जो डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मेमौरी कार्ड में रिकॉर्ड है को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से कार्यालय के लेपटॉप मे श्री लालचन्द कानि. 30 के द्वारा कनेक्ट कर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी, सहपरिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। मन अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री लालचन्द कानि. 30 से फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। उक्त वार्ता मे परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी दिनेश उर्फ अकरम हुसैनकी होना पहचान की। फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 3.20 एएम पर स्वतंत्र गवाहान तरूण जैन व सचिन मेहताके समक्ष व परिवादी श्री मोहनलाल व सहपरिवादी मदनलाल की उपस्थिति में परिवादी श्री मोहनलाल व आरोपी दिनेश उर्फ अकरम हुसैन के मध्य रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता दिनांक 09.11.2025 को की गई जिसे परिवादी द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मेमौरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से कार्यालय के लेपटॉप में श्री लालचन्द कानि. 30 के द्वारा कनेक्ट कर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी, सहपरिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। मन अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री लालचन्द कानि. 30 से फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। उक्त वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी दिनेश उर्फ अकरम हुसैन तथा तीसरी आवाज सहपरिवादी मदनलाल की होना पहचान की। फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 6.30 एएम पर स्वतंत्र गवाहान तरूण जैन व सचिन मेहताके समक्ष व परिवादी श्री मोहनलाल व सहपरिवादी मदनलाल की उपस्थिति में परिवादी श्री मोहनलाल व आरोपी दिनेश उर्फ अकरम हुसैन तथा आरोपी हितेश कुमार के मध्य दिनांक 09.11.2025 को हुई रिश्वत लेन देन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मेमौरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था, को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से कार्यालय के लेपटॉप में श्री लालचन्द कानि. 30 के द्वारा कनेक्ट कर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी, सहपरिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। मन अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री लालचन्द कानि. 30 से फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। उक्त वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी दिनेश उर्फ अकरम हुसैन तथा तीसरी आवाज आरोपी हितेश कुमारव चौथी आवाज सहपरिवादी श्री मदनलाल की होना पहचान की। फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 9.00 एएम पर स्वतंत्र गवाहान तरूण जैन व सचिन मेहता के समक्ष व परिवादी श्री मोहनलाल व सहपरिवादी मदनलाल की उपस्थिति में सहपरिवादी श्री मदनलाल द्वारा रिश्वत राशिदेने हेतु रवाना होते वक्त मन अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाइल पर दिनांक 09.11.2025 को समय 7.39 पीएम पर दी गई सूचना जिसेपरिवादी द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मेमौरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था, को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से कार्यालय के लेपटॉप में श्री लालचन्द कानि. 30 के द्वारा कनेक्ट कर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी, सहपरिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। मन अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री लालचन्द कानि. 30 से फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। उक्त वार्ता में सहपरिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज मन अति. पुलिस अधीक्षक की होना पहचान की। फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 9.10 एएमपर स्वतंत्र गवाहान तरूण जैन व सचिन मेहताके समक्ष व परिवादी श्री मोहनलाल व सहपरिवादी मदनलाल की उपस्थिति मेंट्रेप कार्यवाही स्थल एवं बरामदगी रिश्वत राशिस्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्षा मौका पृथक से मुर्तिब किया गया। फर्द नक्षा पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए गए। समय 10.00 एएम पर स्वतंत्र गवाहान तरूण जैन व सचिन मेहता के समक्ष व परिवादी श्री मोहनलाल व सहपरिवादी मदनलाल की उपस्थिति में परिवादी श्री मोहनलाल, सहपरिवादी मदनलाल, आरोपी हितेश कुमार निरीक्षक एवं दलाल अकरम के मध्य दिनांक 09.11.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेनदेन वार्ता, लेनदेन प्रयास वार्ता एवं मोबाईल वार्ताए प्रथम, द्वितीय जो कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे लगे मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड किया गया था। उक्त मूल मैमेरी

कार्ड मे रिकार्ड रिश्वत सत्यापन व रिश्वत लेनदेन वार्ता व मोबाईल वार्ता प्रथम, द्वितीय की हेशबेल्यु निकालकर सम्बधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। मन अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री लालचन्द शर्मा कानि 30 के द्वारा सरकारी लैपटॉप से सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड उक्त 04 वार्ताओ को मैमोरी कार्ड से प्रतिलिपि कर सीधे ही 04 अलग अलग पेन ड्राईवो में प्रतिलिपिकरण कर सेव की जाकर 04 पेन ड्राईव तैयार करवाये गये। जिसमें मूल मैमारी कार्ड वजह सबूत न्यायालय के लिए जप्त किया जाकर कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर किया गया व डव शुदा 04 पैन ड्राईव मे से 02 पेन ड्राईव आरोपीगण के लिए, एक पेन ड्राईव एफ.एस.एल. से नमूना आवाज मिलान के लिए को अलग अलग कपडे की थैली मे रखकर शील्ड मोहर किया जाकर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड ही रखा गया। तैयारशुदा मूल मैमोरी कार्ड व 04 पेन ड्राईव को कब्जे एसीबी लिया जाकर सील्ड पेकेटों पर नमूना सील फर्द पर अकिंत की गई। फर्द प्रतिलिपिकरणपेन ड्राईव एवं जब्ती मैमोरी कार्ड मुर्तिब की जाकर सम्बधितो को पढकर सुनाई गई,सुन समझ सही मान सभी ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 10.10 एएम रूबरू स्वतंत्र गवाहान श्री तरूण जैन, श्री सचिन मेहता एवं परिवादी तथा सहपरिवादी के समक्ष आरोपी अकरम हुसैन की हाथ धुलाई की प्रकिया तथा बरामदगी रिश्वत राशि, व मोबाईलों की बरामदगी के दौरान विडियो रिकार्डिग जो हमराह कानि भूपेन्द्र सिह 292 द्वारा सरकारी मोबाईल मे लगे नये मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड की गई थी। उक्त मेमोरी कार्ड को निकालकर कार्डरीडर के जरिए सरकारी लेपटोप में लगाकर विडियो रिकार्डिगं की हेशवेल्यु निकालकर सम्बधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कर शामिल पत्रावली किया गया। मन अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री लालचन्द शर्मा कानि 30 के द्वारा सरकारी लैपटॉप से मोबाईल में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड उक्त दो विडियो रिकार्डिग की प्रतिलिपीकरण कर सीधे ही 01 पेन ड्राईव में लिया गया। मेमोरी कार्ड को एक कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर किया गया शील्ड पैकेट पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रतिलिपीशुदा पेन ड्राइव को अनुसंधान अधिकारी के लिए अनशील्ड रखा गया। सील्डशुदा मैमोरी कार्ड के पेकेट पर नमूना सील अंकित की गई।फर्द प्रतिलिपिकरणपेन ड्राईव एवं जब्ती मैमोरी कार्ड मुर्तिब की जाकर सम्बधितो को पढकर सुनाई गई,सुन समझ सही मान सभी ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये । समय 11.00 एएम पर कार्यवाही में बी.एन.एस.एस. 2023 की धारा 35में वर्णितानुसार प्रावधानों की पालना में आरोपी श्री अकरम हुसैन की गिरफ्तारी से पूर्व चैकलिस्ट तैयार की गई। समय 11.05 एएम पर स्वतंत्र गवाह श्री सचिन मेहता एवं श्री तरूण जैन के समक्ष प्रकरण हाजा में डिटेनशुदा आरोपी दलाल श्री दिनेश उर्फ श्री अकरम हुसैन पुत्र श्री मोहम्मद हाकिम हुसैन जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी वार्ड नंबर 8, ईमाम चौक के पास तहसील लाडपुरा, कैथून, कोटा को मन अति. पुलिस अधीक्षक ने अपने पूर्ण पद व परिचय से अवगत कराया तथा आरोपी को उसके जुर्म को पढकर सुनाया जाकर गिरफ्तारी के आधारों एवं कानूनी अधिकारों से अवगत कराते हुए चैक लिस्ट में वर्णित कारणों से कार्यवाही हाजा में हस्ब कायदा गिरफ्तार किया जाकर हिरासत ब्यूरो लिया गया। जामा तलाषी श्री सचिन मेहता से लिवाई गई तो आरोपी की पेन्ट की जेब में एक मोबाइल सेमसंग कंपनी का बरंग हल्का आसमानी जिसमें जिओ कंपनी की सिम का मोबाइल नंबर [redacted] लगी हुई है। उक्त मोबाइल का लॉक खुलवाकर व्हाट्सअप पर दिनांक 09.11.2025 को हुई चेटिंग चैक की गई तो उक्त मोबाइल नंबर से आरोपी हितेश रोहिला सी.बी.एन. के मोबाइल नंबर [redacted] पर भंवर के लड़के परिवादी मोहनलाल से रिश्वत राशि3 लाख रूपये के संबंध में 3 लाख रूपये से राशि कम नहीं किए जाने के संबंध में समय 5.21 पीएम से 7.00 पीएम तक चेटिंग पाई गई जिसका स्क्रीन शॉट लिया जाकर लेपटॉप की सहायता से कुल 04 पृष्ठों में प्रिन्ट आउट निकाली जाकर सभी पृष्ठों पर परिवादी, सहपरिवादी, स्वतंत्र गवाहान व आरोपी दिनेश उर्फ अकरम के हस्ताक्षर करवाए जाकर उक्त प्रिन्ट आउट को कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी द्वारा अपने उक्त मोबाइल को ट्रेप कार्यवाही से पूर्व आरोपी हितेश कुमार से रिश्वत राशिके संबंध में चेटिंग व वार्ता हेतु काम में लिया गया है, अतः उक्त मोबाइल को बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया जाकर अनुसंधान हेतु अनसील्ड रखा गया। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री हितेश कुमार निरीक्षक, कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, भवानीमण्डी, जिला झालावाड़ पुराने एनडीपीएस के प्रकरण में परिवादी के पिता श्री भंवरलाल तैली का नाम होने की कहकर दिनांक 07.11.2025 को परिवादी के पिता को उसके गांव से मय जाप्ता के साथ लेकर आना, परिवादी के पिता का नाम प्रकरण से हटाने की एवज में 04 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी के निवेदन करने पर 03 लाख रूपये रिश्वत राशिलेने हेतु सहमत होना, रिश्वत लेन देन के दौरान परिवादी के पिता को छोड़ने से संबंधित वार्ता करते हुए रिश्वत राशि03 लाख रूपये दलाल अकरम हुसैन को देने हेतु कहना, परिवादी मोहनलाल, उसके पिता भंवरलाल व राकेश कुमार के आधार कार्ड की फोटोप्रतियां प्राप्त कर भंवरलाल को परिवादी के साथ भेजना, आरोपी अकरम हुसैन द्वारा 03 लाख रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर हितेश कुमार निरीक्षक को देना, अकरम के बाएं हाथ का धोवन का रंग गुलाबी व दाहिने हाथ का धोवन का रंग हल्का गुलाबी आना, हितेश कुमार का रिश्वत राशि एवं आधार कार्डों की फोटोप्रतियां सहित फरार होना, आरोपी के मोबाइल की लोकेशन प्राप्त होने पर तलाशी के दौरान आरोपी के मोबाइल एवं उक्त तीनों व्यक्तियों के आधारकार्डों की फोटोप्रतियां तथा रिश्वत राशि के 40 नोट 500-500 रूपये के भारतीय मुद्रा के व 500-500 के डमी 160 नोट मिलना, तलाशी के दौरान मिले भारतीय मुद्रा के 500-500रू. के 40 नोटों का मिलान फर्द पेशकशी से होना, इत्यादि संपूर्ण कार्यवाही से आरोपीगण 1. श्री हितेश कुमार निरीक्षक, कार्यालय

अधीक्षक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, भवानीमण्डी, जिला झालावाड 2. श्री अकरम हुसैन पुत्र श्री मोहम्मद हाकिम हुसैन जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी वार्ड नंबर 8, ईमाम चौक के पास तहसील लाडपुरा, कैथून, कोटा, दलाल व अन्य का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) एवं 238, 61(2) बी.एन.एस. का अपराध प्रमाणित पाया गया है। गिरफ्तारशुदा आरोपी अकरम हुसैन उर्फ दिनेश का स्वास्थ्य परीक्षण/मेडिकल करवाने हेतु तहरीर दी जाकर श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 व श्री राजेन्द्र कुमार कानि. 279 को मय राजकीय वाहन टवेरा मय चालक श्री घनश्याम कानि. 609 के सी.एच.सी., भवानीमण्डी में करवाया गया। आरोपी श्री हितेश कुमार निरीक्षक का सेवा विवरण व परिवादी श्री मोहनलाल के पिता श्री भंवरलाल तेली निवासी ग्राम मेजा, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा के संबंध में एन. डी.पी.एस. प्रकरण में वांछित हो तो पेण्डिग कार्य बाबत पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षक, निवारक आसूचना प्रकोष्ठ केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, भवानीमण्डी को पृथक-पृथक पत्र दिए जाकर रसीद प्राप्त की गई। समय 2.00 पीएम पर मन अति. पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता श्री दिलीप सिंह एएओ, श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 मय स्वतंत्र गवाहान राजकीय वाहन टवेरा मय श्री घनश्याम कानि. 609 के आरोपी श्री हितेश कुमार निरीक्षक के किराए के मकान की खाना तलाशी हेतु रवाना हुआ। गिरफ्तारशुदा आरोपी अकरम हुसैन की निगरानी हेतु श्री किशनलाल उनि मय शेष जाप्ता के निर्देशित किया गया। समय 3.15 पीएम पर मन अति. पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता श्री दिलीप सिंह एएओ, श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 मय राजकीय वाहन टवेरा मय स्वतंत्र गवाहान श्री घनश्याम कानि. 609 के आरोपी श्री हितेश कुमार निरीक्षक के शताब्दी कोलोनी भवानीमण्डी स्थित किराए के कमरा मकान मालिक श्री गोपाल गुर्जर पर पहुंचा तो उक्त मकान के मेन गेट पर ताला लगा हुआ मिला। आसपास रहने वाले व्यक्तियों व मकान मालिक से जानकारी की गई तो उक्त सम्पूर्ण मकान को हितेश कुमार निरीक्षक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, भवानीमण्डी द्वारा किराए पर लेना व उसी के द्वारा मेन गेट पर ताला लगाना अवगत कराया। इस पर बाजार से श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 से साईकिल लॉक खरीद करवाकर मेन गेट के दोनों हेण्डल पर ऊपर की ओर ताला लगाया जाकर मकान मालिक को आरोपी हितेश कुमार या उसके परिजनों के आने पर सूचित करने व निगरानी हेतु हिदायत कर लगाए गए साईकिल लॉक पर चपडी से सील मोहर कर चिट चस्पा कर वापस आया। समय 5.15 पीएम पर मन अति. पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय जाप्ता श्री किशनलाल उनि, श्रीमती सरोज महिला हैडकानि. 81,श्री करण सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री भूपेन्द्र सिंह कानि 292, श्री राजेन्द्र कुमार कानि. 279, श्री दिलीप सिंह एएओ, श्री लालचन्द कानि. 30 मय गिरफ्तारशुदा आरोपी अकरम हुसैन एवं जप्त व शील्डशुदा 04 धोवन की शीशियां, सील्डशुदा 02 मैमोरी कार्ड, 03 सील्डशुदा व 02 अनसील्ड पेन ड्राईव के पैकिट, जब्तशुदा रिश्वत राशिका पीले रंग का लिफाफा, परिवादी, अकरम हुसैन, हितेश कुमार तथा तलाशी के दौरान मिले 02 मोबाइल कुल 05 मोबाइल जो बतौर वजह सबूत व अनुसंधान हेतु अनसील्ड रखे गए सहित मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व अन्य आवश्यक सामग्री के मय प्राईवेट व सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री घनश्याम कानि 609 के कार्यालय एसीबी एसयू कोटा के लिए रवाना हो भ्र.नि.ब्यूरो, एस.यू. कोटा पर पहुंचा एवं जब्तशुदा उक्त समस्त आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाया गया। अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री हितेश कुमार निरीक्षक, कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, भवानीमण्डी, जिला झालावाड़ पुराने एनडीपीएस के प्रकरण में परिवादी के पिता श्री भंवरलाल तैली का नाम होने की कहकर दिनांक 07.11.2025 को परिवादी के पिता को उसके गांव से मय जाप्ता के साथ लेकर आना, परिवादी के पिता का नाम प्रकरण से हटाने की एवज में 04 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी के निवेदन करने पर 03 लाख रूपये रिश्वत राशिलेने हेतु सहमत होना, रिश्वत लेन देन के दौरान परिवादी के पिता को छोड़ने से संबंधित वार्ता करते हुए रिश्वत राशि03 लाख रूपये दलाल अकरम हुसैन को देने हेतु कहना,परिवादी मोहनलाल, उसके पिता भंवरलाल व राकेष कुमार के आधार कार्ड की फोटोप्रतियां प्राप्त कर भंवरलाल को परिवादी के साथ भेजना, आरोपी अकरम हुसैन द्वारा 03 लाख रूपये रिश्वत राशिग्रहण कर हितेश कुमार निरीक्षक को देना, अकरम के बाएं हाथ का धोवन का रंग गुलाबी व दाहिने हाथ का धोवन का रंग हल्का गुलाबी आना, हितेश कुमार का रिश्वत राशि एवं आधार कार्डों की फोटोप्रतियां सहित फरार होना, आरोपी के मोबाइल की लोकेशन प्राप्त होने पर तलाशी के दौरान आरोपी के मोबाइल एवं उक्त तीनों व्यक्तियों के आधारकार्डों की फोटोप्रतियां तथा रिश्वत राशिके 40 नोट 500-500 रूपये के भारतीय मुद्रा के व 500-500 के डमी 160 नोट मिलना, तलाशी के दौरान मिले भारतीय मुद्रा के 500-500रू. के 40 नोटों का मिलान फर्द पेशकशी से होना, इत्यादि संपूर्ण कार्यवाही से आरोपीगण 1. श्री हितेश कुमार निरीक्षक, कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, भवानीमण्डी, जिला झालावाड 2. श्री अकरम हुसैन पुत्र श्री मोहम्मद हाकिम हुसैन जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी वार्ड नंबर 8, ईमाम चौक के पास तहसील लाडपुरा, कैथून, कोटा, दलाल व अन्य का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) एवं 238, 61(2) बी.एन.एस. के तहत दण्डनीय अपराध प्रमाणित है तथा तलाशी के दौरान खेत में मिले 02 मोबाइलों के स्वामियों एवं उनकी भूमिका के संबंध में गहन अनुसंधान की आवश्यकता है।अतः आरोपीगण श्री अकरम हुसैन पुत्र श्री मोहम्मद हाकिम हुसैन जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी वार्ड नंबर 8, ईमाम चौक के पास तहसील लाडपुरा, कैथून, कोटा, दलाल व श्री हितेश कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र उम्र 27 साल निवासी भोजावास केनान जिला महेन्द्रगढ हरियाणा हाल निरीक्षक केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कार्यालय अधीक्षक (निवारक) एंव आसूचना

प्रकोष्ठ भवानीमण्डी व अन्य के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) एवं 238, 61(2)बी.एन.एस. में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है। (मुकुल शर्मा) अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट कोटा..............कार्यवाही पुलिस...........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मुकुल शर्मा अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) एवं 238, 61(2)बी.एन.एस. 2023 में आरोपीगण 1.श्री हितेश कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र उम्र 27 साल निवासी भोजावास केनान जिला महेन्द्रगढ हरियाणा हालनिरीक्षक केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कार्यालय अधीक्षक (निवारक) एवं आसूचना प्रकोष्ठ भवानीमण्डी 2. अकरम हुसैन पुत्र मोहम्मद हकीम जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी वार्ड न. 08 ईमामचोक के पास कैथुन थाना कैथुन जिला कोटा व अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री पृथ्वीराज मीना पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू कोटा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 243 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1655-58 दिनांक 13.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2-नारकोटिक्स कमिश्नर, सेन्ट्रल ब्यूरो, ग्वालियर मध्यप्रदेश पिन नं. 474006 3- उप महानिरीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट कोटा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PRATHVIRAJ MEENA **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 1[illegible]/2025 1[illegible]

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1998				
2	Male	1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)